~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 93 / 2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
दौलतसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपुत, निवासी मुंगेरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. किशनसिंह पुत्र केशरसिंह 2. गेनसिंह पुत्र केशरसिंह 3. दीपसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपुत, निवासी मुंगेरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा शिव 5. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 12.08.2024

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल मुंगेरिया के ग्राम मुंगेरिया के खेत खसरा नम्बर 17, 40, 85 रकबा क्रमशः 7.1305, 15.2485, 9.7124 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	दौलतसिंह पुत्र केशरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	मुंगेरिया	17	1.7826	बा.सो.	–	गुलाबी
			85	2.4281	बा.दो.	–	
			40	3.8121	बा.सो.	–	
			03	**8.0228**			
2	गेनसिंह पुत्र केशरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	मुंगेरिया	17	1.7826	बा.सो.	–	हरा
			85	2.4281	बा.दो.	–	
			40	3.8121	बा.सो.	–	
			03	**8.0228**			
3	दीपसिंह पुत्र केशरसिंह, किशनसिंह पुत्र केशरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	मुंगेरिया	17	3.5656	बा.सो.	–	बैंगनी
			85	4.8562	बा.दो.	–	
			40	7.6243	बा.सो.	–	
			03	**16.0461**			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner